

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-।

संख्या:पॉच-470(वरिष्ठता)-2016

दिनांक:मार्च 17, 2016

सेवा में,

- 1-समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश। (पीएसी को छोड़कर)
- 2-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 4-समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश (पीएसी को छोड़कर)
- 5-सचिव, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

विषय: उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या:पॉच-470(वरिष्ठता)2015 दिनांक:17-12-2015 द्वारा प्रशिक्षण बैच-1997-98 तक के उपनिरीक्षक ना०पु० एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करते हुये निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही चयन वर्ष-2014 तक की रिक्तियों के सापेक्ष पूर्ण की गयी है।

2- पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक:17-12-2015 को प्रकाशित उपनिरीक्षक ना०पु० एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची में से जिन उपनिरीक्षकों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी अथवा सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा मृत्यु हो चुकी है, का समावेश/संशोधन करते हुये प्रशिक्षण बैच-1997-98 तक के उपनिरीक्षक ना०पु० एवं अभिसूचना की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जा रही है। उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर आउट आफ टर्न पदोन्नति प्राप्त कर्मियों को शासनादेश संख्या-1693/6-पु-1-15-90(4)/2014 दिनांक 23-07-2015 में स्थापित व्यवस्था के अनुसार इनकी वरिष्ठता का निर्धारण आउट आफ टर्न पदोन्नति की तिथि से किया गया है। इस प्रकार अनन्तिम वरिष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की गयी है:-

- 1- पीटीसी प्रशिक्षण सत्र-1997-98 में प्रशिक्षण प्राप्त सीधी भर्ती (मृतक आश्रित को सम्मिलित करते हुये) एवं विभागीय रैंकर परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 में स्थापित व्यवस्था के अनुसार पीटीसी में अर्जित अंकों के प्रतिशत के आधार पर चकानुकम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) रखा गया है।
- 2- पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुये अभ्यर्थियों को उसी बैच में सबसे नीचे रखा गया है, भले ही उनके अंकों का प्रतिशत अधिक हो।
- 3- किसी भी सीधी भर्ती बैच के प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता उस बैच के नियमित चयनित अभ्यर्थियों के साथ पीटीसी के अंक के प्रतिशत के आधार पर तैयार की गयी है।
- 4- एक ही बैच के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाये अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के पूर्णांक समान न होने पर उनके पूर्णांक एवं प्राप्तांक का प्रतिशत निकालकर पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है।
- 5- एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता का आधार बनाया गया है।
- 6- उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर आउट आफ टर्न पदोन्नति प्राप्त कर्मियों को शासनादेश

संख्या-1693/6-पु-1-15-90(4)/2014 दिनांक 23-07-2015 में स्थापित व्यवस्था के अनुसार इनकी वरिष्ठता का निर्धारण आउट आफ टर्न पदोन्नति की तिथि से किया गया है।

7- वैकल्पिक (OPTIONAL) विषयों के अंकों को ज्येष्ठता निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

8- रिट याचिका संख्या-8783/2002 उमेश चन्द्र पाण्डेय बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-18.03.2005 तथा स्पेशल अपील संख्या-638/05 उ०प्र० राज्य व अन्य बनाम उमेश चन्द्र पाण्डेय में पारित निर्णय दिनांक-28.10.2010 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुये उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा-1991 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रशिक्षण सत्र-2000-01 के कैंडिडेटों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, उन्हें उपनिरीक्षक ना०पु० सीधी भर्ती परीक्षा-1991 के नियमित अभ्यर्थियों (प्रशिक्षण सत्र-1997-98) के साथ प्रशिक्षण सत्र-2000-01 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रशिक्षण सत्र-1997-98 की सूची में सम्मिलित किया गया है।

9- अनन्तिम वरिष्ठता सूची में कुल- 1005 उपनिरीक्षकों के नाम सम्मिलित हैं।

3- उपनिरीक्षक ना०पु० एवं अभिसूचना की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की गयी है। अनन्तिम वरिष्ठता सूची सर्वसम्बन्धित को E-Mail से भेजी जा रही है। अनन्तिम वरिष्ठता सूची में कुल-1005 उपनिरीक्षकों के नाम अंकित हैं।

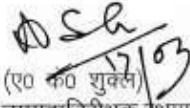
4- कृपया उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रशिक्षण बैच 1997-98 तक के उपनिरीक्षक ना०पु० एवं अभिसूचना की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची को डाउन लोड कर सम्बन्धित उपनिरीक्षकों के डाटा का अभिलेखों से मिलान करा लिया जाये।

5- इस सूची को पुलिस लाइन/थानों/कार्यालय/अन्य सम्बन्धित स्थानों पर प्रचार-प्रसार करने हेतु सूचना-पट्ट पर चस्पा करा दिया जाय तथा सम्बन्धित उपनिरीक्षकों सूचित कराते हुये उन्हें आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु एक सप्ताह का अवसर दिया जाये। सूची में अंकित यदि कोई उपनिरीक्षक प्रतिनियुक्ति पर है तो उसे सूचित करने की जिम्मेदारी उसके गहन जनपद/इकाई की होगी। यदि कोई उपनिरीक्षक अवकाश अथवा किसी भी अन्य कारण से जनपद/इकाई में उपलब्ध न हो तो उन्हें दूरभाष एवं पंजीकृत पत्र द्वारा इस सूची के प्रकाशन से अवगत कराया जाय। सम्बन्धित उपनिरीक्षकों के सूचित किये जाने सम्बन्धी अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रख लिये जाये। यदि किसी उपनिरीक्षक द्वारा सम्बन्धित जनपद/इकाई द्वारा निर्धारित एक सप्ताह की समयसीमा के अन्दर कोई प्रत्यावेदन के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करते हैं, तो उनके प्रत्यावेदन में अंकित आपत्तियों का परीक्षण उसके सेवा अभिलेख से कराकर उसका निराकरण कराते हुये सुविचारित आख्या मय अभिलेख के दिनांक-04-04-2016 तक प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया जाये।

6- समस्त जनपद/इकाईयों से अनुरोध है कि उपनिरीक्षक ना०पु० एवं अभिसूचना की संयुक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित कर्मियों के डाटा का मिलान अभिलेखों से करा लिया जाय। यदि उक्त सूची में किसी उपनिरीक्षक के डाटा में कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा किसी उपनिरीक्षक का नाम छूटा पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक, जिसका डाटा संशोधित

किया गया हो अथवा नाम छूटा होने की दशा में किसी उपनिरीक्षक का नाम जोड़ा जाये तो ऐसे समस्त संशोधित एवं जोड़े गये उपनिरीक्षकों की सूची निर्धारित कालम में उसका पूर्ण विवरण अंकित करते हुये पुलिस मुख्यालय के Email ID. inspromo1998@gmail.com पर विलम्बतम् दिनांक: 31-03-2016 तक उपलब्ध कराया जाये। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध कराया जाय कि प्रकाशित अनन्तिम वरिष्ठता सूची में आपके जनपद/इकाई में नियुक्त प्रशिक्षण बैच-1997-98 तक के किसी भी उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना का नाम छूटा नहीं है।

7- अतः अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समयसीमा के अन्दर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


 (ए० की० शुक्ल)
 पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
 उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ० प्र० लखनऊ।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ० प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से सर्वसम्बन्धित को अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समुचित निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस उपमहानिरीक्षक, एन०आई०ए०, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।
- 2- निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
- 3- आयुक्त व्यापार कर विभाग उ० प्र० लखनऊ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, पावर कारपोरेशन उ० प्र० लखनऊ।
- 5- पुलिस अधीक्षक, सीबीआई लखनऊ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग लखनऊ।
- 7- संयुक्त सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।
- 8- सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- 9- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
- 10- संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-6, गौतमबुद्धनगर।